FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

हनुमान वगैo बनाम राजo सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अo धारा 251 (क) राजo काo अधिo मुoनंo 361 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/637

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03-07-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रार्थी की ओर से श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 22.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
22/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 29-9-25 को पेश हो।	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 03/10/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:56:25 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

डनवानी हनुमान वगै0 बनाम तहसीलदार पाटन मु0सं0 361/2025

तारीख हुक्म	
03/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में रास्ते के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अपनी सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 864 राजस्व ग्राम जीताला में आने जाने के लिए रास्ते का अनुतोष चाहता हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 864 में आने जाने के लिए निकटतम रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाये बिन्दु D, E, F, G अनुसार हैं किन्तु उक्त रास्ते में लगती भूमियां वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड होने से वैकल्पिक रास्ता बिन्दु A, B, C, D, E हैं जो खसरा नम्बर 890, 872, 860, 863 से होकर जाता हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते की न्यूनतम लम्बाई 590 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 09 मीटर हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी की तन ग्राम जीताला पटवार हल्का लादीकाबास तहसील पाटन अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 864 में आने जाने के लिए मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट भूमि ख0नं0 872, 860, 863 खातेदार माफी मन्दिर श्री ध्यानजी महाराज वाके देह की प्रस्तावित रास्ते की भूमि को छोड़कर ख0नं0 890 किस्म गै.मु.पहाड़ में से रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीगण से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि अप्रार्थी को दिलवायी जाकर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.10.06 15:56
Reason: SelfAttested